अपील सूचना अधिकार संख्या 08/2022 (GCMS 2022/25)(आरटीआई नं. 212404590347749) जीतराम पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी चक असरासर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

11.02.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जीतराम स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.11.2021 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी जीतराम ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.11.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. मेरे दादा कुम्भाराम पुत्र लिखमाराम गांव रामपुरा भारू हाल वर्तमान बाजुवाला चक 1एनजैडपी, चक 3 आईएसडब्ल्यू में विक्रम सम्वत् 1960 में भूमि रिकॉर्ड में दर्ज थी। रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया जावे।
2. यह है कि मुझ प्रार्थी कुम्भाराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी बाजुवाला चक 1एनजैडपी व चक 3आईएसडब्ल्यू में इस नाम से भूमि 1960 में दर्ज थी, इस नाम से दोनों चक के रिकॉर्ड में दर्ज भूमि का उल्लेख करके सूचना उपलब्ध करवायी जाने का श्रम करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:36:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. यह है कि प्रार्थी की फौत युवा अवस्था में होने के कारण हम लोग द्वारा यह भूमि अपने दादा श्री कुम्भाराम पुत्र लिकमाराम जाति जाट की सुध नहीं ले सके। इसलिए हम भूमि की सार सम्भाल नहीं कर सके। इन दोनों चकों में भूमि इस नाम से रिकॉर्ड में है, सूचना उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक 1913 दिनांक 15.03.2022 से पत्र की प्रति अपीलार्थी को भिजवाते हुए अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि प्रार्थी जीतराम द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार है:

क्रसं.	प्रश्न	उत्तर
1	प्रार्थी के दादा कुम्भाराम पुत्र लिखमाराम गांव रामपुरा भारू हाल वर्तमान बाजूवाला 1 एनजैडपी व चक 3 आईएसडब्ल्यू में विक्रम सम्वत् 1960 में भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होना बताया है तथा रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने बाबत आवेदन किया है।	मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर तहसील कार्यलय में विक्रम सम्वत् 1960 का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अतः रिकॉर्ड की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती।
2	कुम्भाराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी बालूवाला चक गांव 1 एनजैडपी व चक 3 आईएसडब्ल्यू में सन् 1968 में भूमि दर्ज थी। सूचना उपलब्ध करवाई जावे।	मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर द्वारा इस सम्वत् में निवेदन है है कि सन् 1968 का उपरोक्त चकों का रिकॉर्ड कार्यालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। अतः सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:36:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है और **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही** है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है परन्तु अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी और उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपीलार्थी को दो बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध करवाई है, इसलिए बिन्दु संख्या 3 के जवाब हेतु अपीलार्थी की अपील उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को प्रतिप्रेषित(Remand) की जानी उचित होगी।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर [illegible] की अपील प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है। आदेश की [illegible] एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ [illegible] को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमील [illegible] दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:36:20 IST
Reason: SelfAttested